राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार व कार्यपालक दण्डनायक

तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)

क्रमांक: उपखण्ड/जाप्र/2011/ 18183 दिनांक 29/04/2011

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री / श्रीमती / कुमारी सोनिया चौधरी

पुत्र / पुत्री सोहनलाल

निवासी कोटा

जिला / डिविजन कोटा उपखण्ड / तहसील - राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त श्री / श्रीमती जाति / सम्प्रदाय जाटव

का है जिसे निम्नलिखित अनुसार अनुसूचित जाति के रूप मान्यता दी गयी है।

जो अनुसूचित जाति की सूची संख्या में क्रम से 87 पर दर्ज है–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956

बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966,

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरप्रदेश क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा–

–अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार

संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान–

–(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962

संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964

विधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश आदेश 1967

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968

संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री / श्रीमती सोनिया चौधरी पुत्र / पुत्री श्री सोहनलाल

जाति जाटव निवासी कोटा

जिला / डिविजन कोटा यहां राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते है।

स्थान .....

दिनांक .....

उपखण्ड अधिकारी / कार्यपालक

हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर

लाडपुरा

जिला कोटा

यहां प्रयुक्त हुये साधारण तौर से निवास करते का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।

Attested

MOBIT RAM

Asstt. Professor (Radiation Physics)

M.B.S. Hospital & Medical College

KOTA (Rajasthan)